

प्रेस नोट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर दिनांक 15.11.2025

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त
01 अदद अवैध असलहा व 02 अदद कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में 30नि0 संदीप चौधरी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 219/2025 धारा 109,352,351(3) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त युवराज भारती उर्फ लाली को घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध असलहा 0.315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आम्स एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.10.2025 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त युवराज भारती उपरोक्त द्वारा आपसी वाद-विवाद में गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

युवराज भारती उर्फ लाली पुत्र राकेश भारती उर्फ चन्दन निवासी सिकटौरा बाजार मानीराम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 219/2025 धारा 109,352,351(3) भा0न्या0सं0 व 3/25 आम्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध असलहा 0.315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 संदीप कुमार चौधरी चौकी प्रभारी दुर्गाबाड़ी थाना कोतवाली गोरखपुर
2. 30नि0 सौरभ मौर्या थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
3. कां0 निखिल यादव थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर